संख्याः 1923 / XVIII(II) / 2013

प्रेषक,

भास्करानन्द,.
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 14–11– 2013

विषयः–मै0 राज इन्टरप्राइजेज,बगवाडा,रूद्रपुर जनपद ऊधमसिंहनगर को औद्योगिक प्रयोजन (कार कैरियर,स्कूटर कैरियर तथा सभी प्रकार के फैब्रिकेशन के कार्य) हेतु ग्राम खानपुर पूर्व,तहसील गदरपुर जिला उधमसिंहनगर में 0.4040 है0 भूमि क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–4110 / सात–स0भू0अ0 / 2012 दिनांक–05.07.2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, मै0 राज इन्टरप्राइजेज, बगवाडा,रूद्रपुर को औद्योगिक प्रयोजन (कार कैरियर,स्कूटर कैरियर तथा सभी प्रकार के फैब्रिकेशन के कार्य) हेतु ग्राम खानपुर पूर्व,तहसील गदरपुर जिला उधमसिंहनगर में आपके द्वारा प्रस्तावित खाता संख्या– 00371 के खसरा संख्या–312क के अन्तर्गत रकबा 0.4040 है0 भूमि क्रय की अनुमति, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15–1–2004 की धारा–154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अनापत्ति / सहमति के क्रम में निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं।

1– क्रेता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2– क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (कार कैरियर, स्कूटर कैरियर तथा सभी प्रकार फैब्रिकेशन के कार्य) के लिये करेगा, जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

.....2

3– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

5– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

6– इकाई द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग केवल औद्योगिक प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा।

7– क्रय की जाने वाली भूमि का भू–उपयोग, यदि औद्योगिक से भिन्न हो, तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर शासन द्वारा निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए औद्योगिक प्रयोजन हेतु फैक्ट्री भवन निर्माण का प्लान सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

8– आवेदक द्वारा स्थापित किये जाने वाले उद्यम में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

9– जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि भूमि के प्रस्तावित अन्तरण से किसी राजस्व विधि/नियमों का उल्लंघन न हो तथा प्रस्तावित भूमि भारमुक्त/बन्धक मुक्त होने एवं विवाद रहित होने पर ही क्रय की जाय।

10– इकाई को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

11– प्रस्तावित स्थल पर अवस्थापना विकास से सम्बन्धित कार्यों का दायित्व सम्बन्धित इकाई का होगा।

12– सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेगें तथा धारा–143 की कार्यवाही वर्तमान में जनहित रिट याचिका संख्या–33/2011 परविन्दर सिंह बनाम राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक–01.07.2013 के अधीन होगी।

13– किसी भी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एंव सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

14– भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एंव ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

15– योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियॉं/स्वीकृतियॉं प्राप्त कर ली जायेगी।

16– उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तो का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन होने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया इस सम्बन्ध में तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए इस शासनादेश की शर्तो के अनुपालन स्थिति से भी ससमय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

पृ0प0सं0– 1923/समदिनांकित/2013

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
4– मै0 राज इन्टरप्राइजेज, बगवाडा, रूद्रपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर।
5– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।